

प्रपत्र  
FORM

दिनांक 30.12.17

का वर्ष 2017

के लिए अचल संपत्ति का दिवरण

STATEMENT OF INMOVABLE PROPERTY FOR THE YEAR

2017

AS ON 31.12.2017

आधिकारी का नाम :

Name of the officer:

इन रेकिंग जौशी

तरीमान वेतन

6600

संवाद का नाम जिससे आधिकारी संबंधित है

का नं. ३०-II

वर्तमान पद :

Present Post held:

का नं. ३०-II

ज़िला, तालुक इकाइया, गांव का नाम जहाँ स्थिति है	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों का नाम जहाँ स्थिति है	वर्तमान मूल्य	यदि संपत्ति अपने जीवे के नाम पर नहीं है तो उसके नाम से है वहा उसके संबंधित वर्तमान स्थिति का वर्णन करें।	संपत्ति को खरीदा गई ? देश खरीदा गई, पट्ट पर ली गई, इनका उत्तराधिकार, उत्तराधिकार अथवा विरो अन्य जीव से ली गई। वार्षिक जिसको अधिकार में ली गई वहा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	समाज से वार्षिक आय	अनुमति दिया गया
Present Value	Name and details of property, Housing lands & other buildings	Present Value	If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to Govt. Servants.	How acquired ? Whether by purchase, lease, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired.	Annual income from the property.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वर्पा	आवासीय	—	स्वप्न बैंगाड़	माता छारा	—	—

जो वार्षिक नहीं है, उसे कठोर दिया जाए। Inapplicable clause be struck out.

जहाँ गूल्हा का राटोल आवास समाव नहीं है वहाँ पर्याप्त विचारों के बाब्ता में अनुसन्धान पूर्ण संपूर्णता किया जाए।

Incase where it is not possible to assess the value accurately the approximately value in relation to present conditions may be indicated.

\* अंतर्गतील एवं पर्याप्त नहीं दिया जाए। It includes short term lease also.

टिप्पणी : प्रोफेशन पर भरना तथा इसे केंद्रीय दिविल सेवा (आवासीय) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन संवा में प्रदत्त नियुक्ति पर वर्णन तथा शेषों ॥ (गोपनीय वर्ष 1964) के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रकल्प अनुसार आपराधिक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उनके नाम पर उत्तराधिकार दिया जाए तथा उनके विविध काम पर अधिकार उत्तराधिकार में दायर, पट्ट पर ली गई जावा विवर संपूर्ण अवल संपत्ति का विवरण दिया गया है।

Note : The declaration form is required to be filed and submitted by every member of Class-I and class-II service under Rule 18(1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every year giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

टीविन र. जौशी

हस्ताक्षर/Signature 30.11.17  
दिनांक/Date

11/11/17